दुमका: मिनरल वाटर प्लांट में छापा

दुमका | प्रतिनिधि

मेसर्स राधिका मिनरल वाटर प्लांट में भारतीय मानक ब्यूरो, जमशेदपुर की टीम ने छापा मारा और 188 कार्टन बोतल बंद मिनरल वाटर को जब्त कर लिया है।

भारतीय मानक ब्यूरो, जमशेदपुर के वैज्ञानिक एसके गुप्ता अपनी 5 सदस्यीय टीम के साथ जमेशदपुर से दुमका पहुंचे और मिनरल वाटर के प्लांट में छापा मारा। राधिका मिनरल वाटर का प्लांट दुमका शहर के मजिस्ट्रेट कालोनी के पीछे है।

वैज्ञानिक एसके गुप्ता ने बताया कि बगैर अनुमति के आईएसआई मार्का का प्रयोग कर मिनरल वाटर की बिक्री धड़ल्ले से की जा रही थी। शिकायत मिलने पर जब्त बोतल बंद पानी को जांच के लिए दुमका भेजा गया है।

उन्होंने बताया कि जांच कर सभी मिनरल वाटर को जब्त कर प्लांट को सील कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि बगैर अनुमति के आईएसआई मार्का का मिनरल वाटर बिक्री करने पर मालिक जामुन महतो पर 2 लाख रुपए का जुर्माना किया जाएगा। लाईसेंस प्राप्त करने के बाद ही इस प्लांट को चलाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि प्लांट के मालिक जामुन महतो के विरुद्ध बीआईएस एक्ट 2016 के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

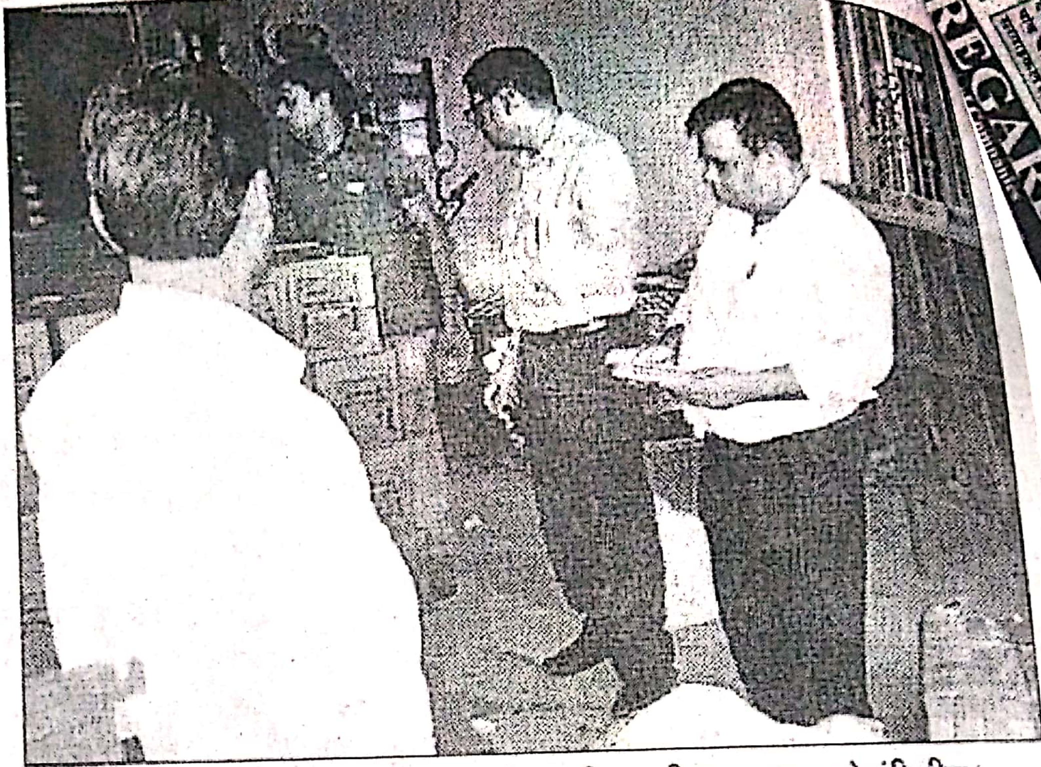

राधिका मिनरल वाटर के प्लांट में छापेमारी करती भारतीय मानक ब्यूरो की टीम।

छापेमारी

- 188 कार्टन बोतल बंद पानी जब्त, जांच के लिए भेजा गया
- बगैर अनुमति के आईएसआई के मार्का का किया जा रहा था प्रयोग

इस छापेमारी में जिला उद्योग विभाग के महाप्रबंधक सहित नगर थाना की पुलिस बल भी शामिल थे। इधर, राधिक जल प्लांट के मालिक जामुन महतो का कहना है कि वे लाईसेंस के लिए अप्लाई कर दिया है। अभी लाईसेंस नहीं मिला है।

सागवान की लकड़ी लदा मिनी ट्रक जब्त

ने बताया कि मंगलवार की देर शाम को गुप्त सूचना मिली कि सागवान की लकड़ी रामपुरहाट (पश्चिम बंगाल) ...

के बीच लकड़ी लदा ट्रक को पकड़ लिया। मौके पर वन विभाग की टीम को ...

ट्रक मालिक, चालक और अज्ञात के विरुद्ध वन अधिनियम के तहत मामला ...

Scanned by CamScanner

राधिक जल फैक्ट्री में बीआइओएस का छापा

भारतीय मानक ब्यूरो की जमशेदपुर टीम ने की कार्रवाई, बिना अनुमति आइएसआइ मार्का का प्रयोग

जागरण संवाददाता, दुमका : भारतीय मानक ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्स की जमशेदपुर जिला के पांच सदस्यीय टीम ने बुधवार की शाम मजिस्ट्रेट कॉलोनी के पीछे राधिका जल की फैक्ट्री में छापेमारी की। यहां पर बिना अनुमति के आइएसआइ मार्का का इस्तेमाल कर जल की बिक्री की जा रही थी। टीम ने कंपनी के अंदर से 12 बोतलवाले 138 पैकेट को सील करते हुए सारा काम बंद करा दिया। कंपनी पर दो लाख का जुर्माना लगेगा और अदालत में केस भी चलेगा।

टीम के मुखिया वैज्ञानिक संजय कुमार गुप्ता ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि फैक्ट्री द्वारा बिना अनुमति के आइएसआइ मार्का का इस्तेमाल कर जल की बिक्री की जा रही है। कोई भी जल की बिक्री तभी कर सकता है, जब तक वह भारतीय मानक ब्यूरो से लाइसेंस नहीं ले लेगा।

दुमका में राधिका जल फैक्ट्री में जांच करते ब्यूरो के अधिकारी • जागरण

दुमका में जल की फैक्ट्री में डिब्बे को सील करते सहायक • जागरण

फैक्ट्री की ओर से इस तरह का प्रयास नहीं कर धड़ल्ले से जल की बिक्री की जा रही थी। बताया कि फैक्ट्री द्वारा तैयार की गई पानी की सभी बोतल को सील कर कामकाज बंद करा दिया गया है। बगैर लाइसेंस की फैक्ट्री चलाने के आरोप में दो लाख का जुर्माना लगाया जाएगा और केस भी किया जाएगा। जब तक सब कुछ क्लीयर नहीं होता है तब तक जल की बिक्री बंद रहेगी। वहीं फैक्ट्री के मालिक जामुन महतो का कहना था कि उसने पिछले चार अप्रैल से जल की बिक्री शुरू की थी। दो फरवरी को लाइसेंस के लिए आनलाइन आवेदन दिया लेकिन अभी तक आवेदन पर सुनवाई नहीं हुई। उनसे गलती है। काम शुरू करने से पहले लाइसेंस लेना चाहिए था।

विक्षिप्त महिला का शव बरामद, हो रही जांच

संवाद सहयोगी, हंसडीहा : हंसडीहा थानाक्षेत्र के पगवारा पहाड़ी के पास बुधवार को एक अज्ञात महिला का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। महिला की नाक से खून बहने का निशान दिख रहा था।

देर शाम महिला की पहचान रामगढ़ प्रखंड के सिलटा निवासी सफीर अंसारी की पत्नी आलमआरा बीबी (36) के रूप में परिजनों ने हसडीहा थाना पहुंच की। परिजनों के मुताबिक महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त थी और तीन दिन पूर्व ही रात में शौचालय जाने की बात कहकर घर से निकली थी। जानकारी के अनुसार हंसडीहा थाना प्रभारी को सूचना मिली कि हंसडीहा स्थित पगवारा पहाड़ी के समीप झाड़ी में किसी महिला का शव संदिग्ध हालात में पड़ा हुआ है। जिस स्थान पर महिला का शव मिला है वो पहाड़ों के बीच बिल्कुल सुनसान क्षेत्र है।

बुधवार को गुजर रहे एक राहगीर की नजर उक्त महिला के शव पर पड़ी तो इसकी जानकारी हंसडीहा पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही हंसडीहा थाना प्रभारी मनोज कुमार राय पुलिस बल के साथ उक्त स्थल पर पहुंचकर महिला के शव को अपने कब्जे में लेकर हंसडीहा थाना ले आई।

10 साल पुरानी रीढ़ की हड्डी ठीक

मैं सरबजीत चौहान, 101, संजय विहार, 10 साल पहले चोट लगने से रीढ़ की नसें दबी थीं, पांव सुन्न रहते, रीढ़ की हड्डी में अकड़न, दर्द और सायटिका भी था, आपरेशन भी करवा चुकी थी, तब किसी वैद्य की सलाह पर क्षमीकिन रोमो, अवार्ड प्राप्त डॉ. सागर मलिक आयुर्वेदा, 20, रामनगर, अंबाला शहर में फोन 8950038113, 9138288113, 7082448113 पर बात कर शास्त्रोक्त दवा मंगाई, जिससे 5 महीने प्रयोग से पांव चलने लगे, दर्द, सूजन, अकड़न, सायटिका सब ठीक है।

ROYAL REGARDS

..ट पलटा
..लोग घायल

उनको अपने वाहन में लेकर दुमका सदर अस्पताल आए। चिकित्सकों ने तत्काल इलाज शुरू कराया। जामा थाना प्रभारी को बता दिया है कि वह घायलों की पहचान कराकर उनके घरवालों को सूचित करा दें।

IMG-20190509-WA0011.jpg

Scanned by CamScanner

तेज धूप के कारण स्कूली बच्चों को स्कूल से आने-जाने में हो रही भारी परेशानी

दुमका का पारा 41 डिग्री पहुंचा, लोग बेहाल

परेशानी बढ़ी

- तेज धूप के दुमका की सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा
- अगले 4 दिनों तक तापमान में नहीं होगी कोई गिरावट

सेल्सियस रहने की उम्मीद है। वहीं 10 व 11 मई तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। 12 मई को तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना व्यक्त की गई है।

तेज धूप के कारण हरी सब्जियां मुरझा रही है। तेज धूप को देखते हुए कई सामाजिक संगठनों ने शहर के चौक-चौराहों पर पीने का पानी के लिए प्याऊ लगा दिया है, ताकि राहगीरों को कोई दिक्कत नहीं हो।

तापमान में लगातार बढ़ोतरी होने से एसी व कूलर की डिमांड बढ़ी: दुमका में तापमान में लगातार बढ़ोतरी होने से एसी व कूलर की डिमांड काफी बढ़ गई है।

ऐसे करें बचाव

- चेहरे पर कपड़ा लपेटकर धूप में निकलें
- तला हुआ खाना खाने से करें परहेज
- सत्तू, खीरा एवं तरबूज का करें उपयोग
- खाली पेट धूप में नहीं निकलें
- पानी के साथ इलेक्ट्राल पाउडर का भी करें प्रयोग
- धूप से छोटे-छोटे बच्चों को बचाएं

पिछले साल की तुलना में इस साल एसी व कूलर की काफी बिक्री हुई। भीषण गर्मी के कारण पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गई है। दुमका जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश चापाकल खराब है। चापाकल मरम्मत कराने की प्रक्रिया बहुत ही धीमी गति से चल रही है। ग्रामीण इलाके के लोगों के समक्ष पानी की भीषण संकट उत्पन्न हो गई है।

दुमका में तेज धूप के कारण चेहरा को ढंक कर जाती युवतियां। • हिन्दुस्तान

दुमका: मिनरल वाटर प्लांट में छापा

दुमका | प्रतिनिधि

मेसर्स राधिका मिनरल वाटर प्लांट में भारतीय मानक ब्यूरो, जमशेदपुर की टीम ने छापा मारा और 188 कार्टन बोतल बंद मिनरल वाटर को जब्त कर लिया है।

भारतीय मानक ब्यूरो, जमशेदपुर के वैज्ञानिक एसके गुप्ता अपनी 5 सदस्यीय टीम के साथ जमशेदपुर से दुमका पहुंचे और मिनरल वाटर के प्लांट में छापा मारा। राधिका मिनरल वाटर का प्लांट दुमका शहर के मजिस्ट्रेट कॉलोनी के पीछे है।

वैज्ञानिक एसके गुप्ता ने बताया कि बगैर अनुमति के आईएसआई मार्का का प्रयोग कर मिनरल वाटर की बिक्री धड़ल्ले से की जा रही थी। शिकायत मिलने पर जब्त बोतल बंद पानी को जांच के लिए दुमका भेजा गया है।

उन्होंने बताया कि जांच कर सभी मिनरल वाटर को जब्त कर प्लांट को सील कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि बगैर अनुमति के आईएसआई मार्का का मिनरल वाटर बिक्री करने पर मालिक जामुन महतो पर 2 लाख रुपए का जुर्माना किया जाएगा। लाईसेंस प्राप्त करने के बाद ही इस प्लांट को चलाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि प्लांट के मालिक जामुन महतो के विरुद्ध बीआईएस एक्ट 2016 के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

इस छापेमारी में जिला उद्योग विभाग के महाप्रबंधक सहित नगर थाना की पुलिस बल भी शामिल थे। इधर, राधिका वाटर प्लांट के मालिक जामुन महतो का कहना है कि वे लाईसेंस के लिए अप्लाई कर दिया है। अभी लाईसेंस नहीं मिला है।

राधिका मिनरल वाटर के प्लांट में छापामारी करती भारतीय मानक ब्यूरो की टीम।

छापेमारी

- 188 कार्टन बोतल बंद पानी जब्त, जांच के लिए भेजा गया
- बगैर अनुमति के आईएसआई के मार्का का किया जा रहा था प्रयोग

पगवारा पहाड़ी पर मिला महिला का शव, हत्या की आशंका

हंसडीहा | प्रतिनिधि

पगवारा पहाड़ी से बुधवार को हंसडीहा पुलिस ने एक 36 वर्षीय महिला का शव बरामद किया। शव की पहचान हंसडीहा थाना क्षेत्र के सिलटा गांव के सफीर अंसारी की पत्नी अजमा आरा बीबी के रूप में हुई है। महिला के नाक व कान पर खून के निशान है, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि किसी ने महिला की हत्या कर शव को पहाड़ी के बीचों-बीच झाड़ी में लाकर फेंक दिया...

महिला के शव को देखने से प्रतीत होता है कि करीब दो-तीन दिन पहले उसकी मौत हुई होगी। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा।

मनोज कुमार राय, थाना प्रभारी, हंसडीहा

ने बताया कि वह महिला मानसिक रूप से अर्द्धविक्षिप्त थी। वह तीन दिनों से ... उसका शव मिला। वह अपने पीछे तीन पुत्री और दो पुत्र छोड़ गई।

जिस स्थान पर महिला का शव मिला है, वह पहाड़ी के बीच बिल्कुल सुनसान क्षेत्र है। बुधवार को गुजर रहे एक राहगीर की नजर उक्त शव पर पड़ी तो इसकी जानकारी हंसडीहा पुलिस को दी।

सूचना मिलते ही हंसडीहा थाना प्रभारी मनोज कुमार राय पुलिस बल के साथ उक्त स्थल पर पहुंच कर महिला ...

शिकारीपाड़ा : सागवान की लकड़ी लदा मिनी ट्रक जब्त

शिकारीपाड़ा | प्रतिनिधि

चायपानी के समीप वन विभाग की टीम ने चार सौ साठ ट्रक पर लदा सागवान की लकड़ी जब्त किया है। शिकारीपाड़ा विजला पूर्वी क्षेत्र के रेंजर विनय सिंह ने बताया कि मंगलवार की देर शाम को गुप्त सूचना मिली कि सागवान की लकड़ी रामपुरहाट (पश्चिम बंगाल) की ओर ले जाया जा रहा है।

सूचना मिलते ही टीम ने दुमका रामपुरहाट मार्ग में चायपानी व नोनिहाट के बीच लकड़ी लदा ट्रक को पकड़ लिया। मौके पर वन विभाग की टीम को देख चालक मिनी ट्रक छोड़ कर फरार हो गया। उक्त ट्रक सरसडंगाल के किसी व्यक्ति का बताया जा रहा है। रेंजर विनय सिंह ने कहा कि उक्त मामले में ट्रक मालिक, चालक और अज्ञात के विरुद्ध वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज की जाएगी। बता दें कि शिकारीपाड़ा में वन क्षेत्र से अवैध लकड़ी व कोयला का अवैध कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है।

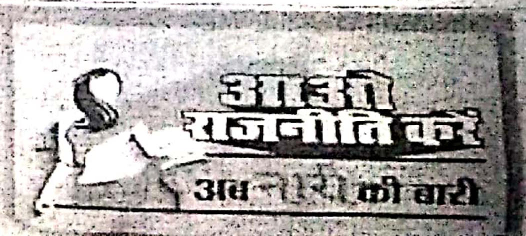

कार्रवाई. बिना अनुमति आइएसआइ मार्का लगाकर बेचा जा रहा था राधिका जल

बीआइएस की टीम ने फैक्ट्री में मारा छापा, 188 कार्टून पानी बोतल जब्त

- मामला क्लियर होने तक फैक्ट्री में कामकाज पर लगी रोक

प्रतिनिधि ▷ दुमका नगर

भारतीय मानक ब्यूरो जमशेदपुर से आये पांच सदस्यीय टीम ने बुधवार की शाम मजिस्ट्रेट कॉलोनी के पीछे एक मकान में चल रहे राधिका जल की फैक्ट्री पर छापेमारी की. टीम का नेतृत्व कर रहे वैज्ञानिक एसके गुप्ता ने बताया कि सूचना मिली थी कि फैक्ट्री में बिना अनुमति के आइएसआइ मार्का का इस्तेमाल कर जल की बिक्री की जा रही है. आइएसआइ मार्का लगाकर कोई तब जल का बोतल बेच सकता है जब वह भारतीय मानक ब्यूरो से लाइसेंस ले लेता है. बताया कि फैक्ट्री में तैयार की गयी पानी की सभी बोतल सील कर कामकाज बंद करा दिया गया है.

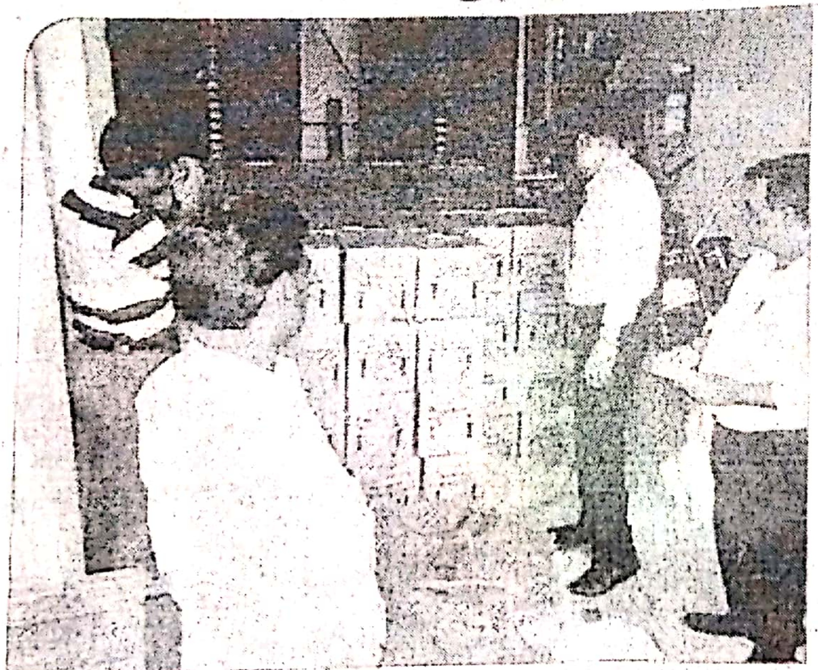

राधिका जल की फैक्ट्री में छापेमारी करते भारतीय मानक ब्यूरो के अधिकारी.

सब कुछ क्लियर नहीं तक जल की बिक्री बंद रहेगी. टीम ने फैक्ट्री से एक लीटर बोतल वाले 188 पैकेट को सील करते हुए जब्त कर लिया है. इधर, फैक्ट्री के मालिक जागुन महतो ने कहा कि पिछले चार अप्रैल से जल की बिक्री शुरू की थी. दो फरवरी को लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन दिया था, लेकिन अभी तक आवेदन पर सुनवाई नहीं हुई. उनसे गलती हुई है. काम शुरू करने से पहले लाइसेंस लेना चाहिए था.

प्लस टू उवि जरमुंडी में 450 छात्र

समझौते के बाद आउट सोर्सिंग सफाई कर्मियों की हड़ताल ख...